निर्णय न्यायालय श्री जवाहरलाल जैन आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
414 / 2021	01.7.2021	02/2/2023.

रूपबाई पत्नी राधेश्याम जाति मीना निवासी उदेई खुर्द तहसील वजीरपुर

— वादिया

बनाम

1. उदयसिंह पुत्र चौथी
2. कमलेशी पुत्री चौथी
3. केसन्ती पुत्री चौथी
4. कौशल्या पुत्री चौथी
5. छोटी पत्नी चौथी
6. बनेसिंह पुत्र चौथी
7. सरवती पुत्री चौथी

जातियान मीना निवासीगण खिदरपुर तहसील वजीरपुर

8. यूको बैंक शाखा गंगापुर सिटी जरिये शाखा प्रबंधक
9. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत् भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री मो0 इस्लाम खान एडवोकेट एडवोकेट वादिया की ओर से।

निर्णय

वादिया ने दावा इस आशय का पेश किया है कि वादिया की सहखातेदारी की भूमि हाल खसरा नं0 67 रकवा 2.89 है0 ग्राम खिदरपुर में है जिसमें वादिया का हिस्सा 105 / 289 है,इसी प्रकार भूमि हाल खसरा नं0 36 रकवा 4.61 है0,37 रकवा 0.90 है0 ग्राम खिदरपुर में स्थित है,जिसमें वादिया ने महेश चन्द पुत्र मीठयालाल का हिस्सा 1 / 4 एवं सुरेश चन्द पुत्र मीठयालाल का हिस्सा 1 / 4 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया है, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादिया का नामान्तरण भी दर्ज हो गया है तथा मौके पर वादिया का कब्जा भी चला आ रहा है। भूमि के सहखातेदारी में रहने से वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपस में विवाद पैदा होते रहते हैं इसलिए वादिया ने दिनांक 18.6.2021 को प्रतिवादीगण को समझाया कि तहसील में चलकर आपसी सहमति से भूमि का विभाजन करवा लेते हैं लेकिन प्रतिवादीगण ने अपनी कोई सहमति प्रदान नही की इसलिए वादिया इस नतीजे पर पहुची है कि प्रतिवादीगण जानबूझकर ही विभाजन नही करवा रहे हैं,इसलिए यह

दावा पेश करना आवश्यक हुआ।वादकारण दिनांक 18.6.2021 को प्रतिवादीगण आपसी सहमति से विभाजन में अपनी कोई सहमति व्यक्त नही करने से पैदा हुआ है। दावा अन्दर मियाद पेश है।

अतः दावा वादिया स्वीकार फरमाया जाकर भूमि हाल खसरा नं0 67 रकवा 2.89 है0, 36 रकवा 4.61 है0, 37 रकवा 0.40 है0 कुल किता 3 कुल रकवा 7.90 हैक्टर स्थित ग्राम खिदरपुर का वादिया व प्रतिवादीगण के मध्य उनके कब्जेनुसार एवं हिस्से अनुसार पृथक– पृथक विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादिया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की गई। प्रतिवादीगण बावजूद तामील दिनांक 06.10.2022 को उपस्थित नही आये इसलिए उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की जाकर दिनांक 20.10.2022 को गवाह पी.ड.–1 वादिया का शपथ पत्र पेश होने पर बयान दर्ज किये गये तथा बहस सुनी गई।

वकील वादिया ने अपनी बहस में दावे में वर्णित तथ्यों अनुसार बहस करते हुए बताया कि वादिया का विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा है तथा मौके पर उक्त हिस्सा 1/2 पर वादिया काबिज काश्त है परन्तु भूमि शामलाती होने से विवाद होते रहतें हैं इसलिए वादिया के हिस्से 1/2 का खाता पृथक से कायम करने हेतु भूमि का विभाजन मीट्स व बाउन्डस के आधार पर कर दिया जावे।

पत्रावली व उसमें प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा वकील वादिया की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी खाता संख्या 86 संवत् 2075–78 प्रर्दश– 1 से स्पष्ट है कि भूमि खसरा नं0 36 व 37 में वादिया का 1/2 हिस्सा है तथा नकल जमाबंदी संवत 2075–78 खाता संख्या 19 प्रर्दश–2 में से वादिया का हिस्सा 105/289 दर्ज है जो शामलाती भूमि के रूप में दर्ज है जिसे लेकर पक्षकारान में काश्त करने में विवाद होना संभव है जिसका वर्णन वादिया ने अपने वाद पत्र में तथा साक्ष्य में भी कथन किया है तथा भूमि का मीट्स व बाउन्डस के आधार पर विभाजन चाहा जो उचित प्रतित होने पर वादिया का दावा दिनांक 03.11.2022 को प्राथमिक डिकी किया जाकर विवादित भूमि खसरा नं0 67 रकवा 2.89 है0, 36 रकवा 4.61 है0, 37 रकवा 0.40 है0 कुल किता 3 कुल रकवा 7.90 हैक्टर स्थित ग्राम खिदरपुर तहसील वजीरपुरका मौके पर कब्जे अनुसार मीट्स एण्ड बाउन्डस के आधार पर विभाजन कर वादिया के हिस्से का खाता पृथक करने के आदेश दिये गये तथा विभाजन स्कीम तैयार करने हेतु तहसीलदार वजीरपुर को आदेशित किया गया।

दिनांक 04.1.2023 को तहसीलदार वजीरपुर से विभाजन स्कीम निम्न प्रकार पेश हुईः–

1.मुताबिक विभाजन स्कीम भूमि खसरा नम्बर 67 रकवा 2.89 हैक्टर ग्राम खिदरपुर तहसील वजीरपुर में पूर्व दिशा की और वादिया का हिस्सा 105/289 रकवा 1.05 हैक्टर व रकवा 1.84 हैक्टर में शेष सहखातेदारों के दर्ज हिस्से अनुसार रहेगी।

45

2.मुताबिक विभाजन स्कीम भूमि खसरा नंम्बर 36 रकवा 4.61 हैक्टर ग्राम खिदरपुर तहसील वजीरपुर में पूर्व दिशा की ओर वादिया का हिस्सा 2.3350 हैक्टर व रकवा 2.275 हैक्टर में शेष सहखातेदारों के दर्ज हिस्से अनुसार रहेगी।

3. मुताबिक विभाजन स्कीम भूमि खसरा नंम्बर 37 रकवा 0.40 हैक्टर ग्राम खिदरपुर तहसील वजीरपुर में वादिया का हिस्सा 0.17 हैक्टर जो कि खसरा नं0 36 व 70 के मध्य संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार रहेगा व रकवा 0.23 हैक्टर में शेष सहखातेदारों के दर्ज हिस्से अनुसार रहेगी।

विभाजन स्कीम प्राप्त होने पर बहस वकील वादिया सुनी गई। वकील वादी विभाजन स्कीम अनुसार वादिया का खाता पृथक कराने को सहमत है।

आदेश

अतः दावा वादी मुताबिक विभाजन स्कीम इस आशय का डिक्री किया जाता है कि :–

1. भूमि खसरा नंम्बर 67 रकवा 2.89 हैक्टर ग्राम खिदरपुर तहसील वजीरपुर में पूर्व दिशा की और वादिया का हिस्सा 105/289 रकवा 1.05 हैक्टर की खातेदारी वादिया के नाम पृथक से दर्ज की जावे।

2. भूमि खसरा नंम्बर 36 रकवा 4.61 हैक्टर ग्राम खिदरपुर तहसील वजीरपुर में पूर्व दिशा की और वादिया का हिस्सा 2.3350 हैक्टर की खातेदारी वादिया के नाम पृथक से दर्ज की जावे।

3.भूमि खसरा नंम्बर 37 रकवा 0.40 हैक्टर ग्राम खिदरपुर तहसील वजीरपुर में वादिया का हिस्सा 0.17 हैक्टर जो कि खसरा नं0 36 व 70 के मध्य संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार की खातेदारी वादिया के नाम पृथक से दर्ज की जावे।

इसी अनुसार सम्पुर्ण राजस्व भू–अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर वादीया का खाता पृथक किया जावे । विभाजन स्कीम निर्णय व डिक्री का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री पृथक सें जारी हो।
निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 02-2-23 को सुनाया गया।

(जवाहर लाल जैन)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

Judi/Civil

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम वजीरपुर इजलास जवाहर लाल जैन, आर0ए0एस0

उनवान

रूपबाई पत्नी राधेश्याम जाति मीना निवासी उदेई खुर्द तहसील वजीरपुर

— वादिया

बनाम

1. उदयसिंह पुत्र चौथी
2. कमलेशी पुत्री चौथी
3. केसन्ती पुत्री चौथी
4. कौशल्या पुत्री चौथी
5. छोटी पत्नी चौथी
6. बनेसिंह पुत्र चौथी
7. सरवती पुत्री चौथी

जातियान मीना निवासीगण खिदरपुर तहसील वजीरपुर

8. यूको बैंक शाखा गंगापुर सिटी जरिये शाखा प्रबंधक
9. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत् भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री मो0 इस्लाम खान एडवोकेट एडवोकेट वादीया की और से

निर्णय

मुकदमा नं. —414/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मो. इस्लाम खान एडवोकेट पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि दावा वादिया डिक्री किया जाकर विवादित भूमि:—

1. भूमि खसरा नंम्बर 67 रकवा 2.89 हैक्टर ग्राम खिदरपुर तहसील वजीरपुर में पूर्व दिशा की ओर वादिया का हिस्सा 105/289 रकवा 1.05 हैक्टर की खातेदारी वादिया के नाम पृथक से दर्ज की जावे।

2. भूमि खसरा नम्बर 36 रकबा 4.61 हैक्टर ग्राम खिदरपुर तहसील वजीरपुर में पूर्व दिशा की और वादिया का हिस्सा 1/2 रकबा 2.3350 हैक्टर की खातेदारी वादिया के नाम पृथक से दर्ज की जावे।

3.भूमि खसरा नम्बर 37 रकबा 0.40 हैक्टर ग्राम खिदरपुर तहसील वजीरपुर में वादिया का हिस्सा 1/2 रकबा 0.17 हैक्टर जो कि खसरा नं0 36 व 70 के मध्य संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार की खातेदारी वादिया के नाम पृथक से दर्ज की जावे।

इसी अनुसार सम्पुर्ण राजस्व भू–अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर वादिया का खाता पृथक किया जावे । विभाजन स्कीम निर्णय व डिक्री का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री पृथक सें जारी हो।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 02.02.2023 को जारी किया गया ।

(जवाहर लाल जैन)
उप जिलाकलेक्टर
वजीरपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(जवाहर लाल जैन)
उप जिलाकलेक्टर
वजीरपुर